

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 80/2019 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्री रतनलाल पिता झमकलाल जी व्यास जाति ब्राहमण उम्र 33 साल वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी :- वादी

बनाम

1. श्री झमकलाल पिता घासीराम जी व्यास जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
2. श्री दुर्गाशंकर पिता झमकलाल जी व्यास जाति ब्राहमण उम्र 30साल निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
3. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बड़ीसादड़ी :- प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या 80 /2019 वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अधि. वादी की और से अधिवक्ता श्री राजेश व्यास, प्रतिवादी की और से राजीनामा मे यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी संख्या नयी 97 स्थित है जिसमे :- आ.न. 762 रकबा 0.46 हैक्टर, आ.न. 841 रकबा 0.32 हैक्टर, आ.न. 849 रकबा 1.08 हैक्टर, आ.न. 1187 रकबा 0.12 हैक्टर, आ.न. 1188 रकबा 0.11 हैक्टर, आ.न. 1189 रकबा 0.19 हैक्टर, आ.न. 1190 रकबा 0.09 हैक्टर, आ.न. 1191 रकबा 0.07 हैक्टर, आ.न. 1192 रकबा 0.40 हैक्टर, आ.न. 1495 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.न. 1496 रकबा 0.89 हैक्टर, आ.न. 1497 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.न. 1498 रकबा 0.89 हैक्टर, आ.न. 1499 रकबा 0.44 हैक्टर, आ.न. 1500 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता :- 15 रकबा :- 5.48 हैक्टर मे वादी रतनलाल का 1/3 वादी व प्रतिवादी न. 1 झमकलाल का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 दुर्गाशंकर का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है । रहन बदस्तुर रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे...X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।

यह आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



(बिन्दु बाला राजावत)

आर.ए.एस. कलक्टर
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़
क्रमांक : राजस्व/2022/255

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार... को पालना रिपोर्ट
इस न्यायालय को भिजवायें।

(बिन्दु बाला राजावत)

आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 80/2019 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्री रतनलाल पिता झमकलाल जी व्यास जाति ब्राहमण उम्र 33 साल वयस्क निवासी बड़वल

:- वादी

बनाम

1. श्री झमकलाल पिता घासीराम जी व्यास जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बड़वल
2. श्री दुर्गाशंकर पिता झमकलाल जी व्यास जाति ब्राहमण उम्र 30साल निवासी बड़वल
3. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बड़ीसादड़ी

:- प्रतिवादीगण

// निर्णय//

यह की सक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है की वादी रतनलाल पिता झमकलाल जी व्यास जाति ब्राहमण उम्र 33 साल वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी ने एक वादपत्र धारा 88 ,209 रा.का.अधि.का इस आशय का प्रस्तुत किया की मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्यो नयीयह की मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्यो नयी 97 स्थित है जिसमे :- आ.न. 762 रकबा 0.46 हैक्टर ,आ.न 841 रकबा 0.32 हैक्टर ,आ.न 849 रकबा 1.08 हैक्टर, आ.न 1187 रकबा 0.12 हैक्टर ,आ.न.1188 रकबा 0.11 हैक्टर ,आ.न. 1189 रकबा 0.19 हैक्टर ,आ.न.1190 रकबा 0.09 हैक्टर, आ.न. 1191 रकबा 0.07 हैक्टर ,आ.न. 1192 रकबा 0.40 हैक्टर ,आ.न. 1495 रकबा 0.01 हैक्टर ,आ.न. 1496 रकबा 0.89 हैक्टर, आ.न. 1497 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.न. 1498 रकबा 0.89 हैक्टर, आ.न. 1499 रकबा 0.44 हैक्टर ,आ.न.1500 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता :- 15 रकबा :- 5.48 हैक्टर स्थित हो कर वर्तमान मे प्रतिवादी न. 1 झमकलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे स्थित है तथा उक्त आराजीयात मे आ.न.1168 रकबा 0.08 हैक्टर भी है जिससे कुल रकबा कुल किता :- 16 रकबा :- 5.56 हैक्टर होता है लेकिन वादी उक्त आराजी आ.न. 1168 जो कि मोके पर बाड़े के रूप मे है के प्रति कोई अनुतोष नही चाहता है तथा वादी का पारिवारीक सजरा निम्नानुसार है

झमकलाल

|

-----|

रतनलाल

दुर्गाशंकर

यह की झमकलालजी मुल कर्ता खानदान हो कर तथा वादी व प्रतिवादी न. 2 दुर्गाशंकर उनका पुत्र है तथा कलम न. 1 मे दर्ज आराजीयात वादी की पैत्रक पुश्तेनी आराजी हो कर उक्त आराजी मे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 झमकलालजी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 दुर्गाशंकर का 1/3 हिस्सा हो कर पैत्रक पुश्तेनी आराजी होने से उक्त आराजी का उक्त हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से का बटवारा कर अपने अपने भाग पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से कि देख रेख वादी व प्रतिवादी ही कर रहे है तथ भविष्य मे कोई विवाद न हो इस कारण वादी अपने हिस्से को

Om
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

पुश्तेनी आराजीमे अपना नाम लगाना चाहता है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम नही होने से वादी अपने 1/3 हिस्से की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है तथा इस बाबत वाद प्रस्तुत है तथा वाद वादी डिक्री किया जाने का अनुरोध किया।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को समन से तलब किया गया तथा प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थिती दर्ज कराई व राजीनामा होना भी जाहीर किया तथा राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तश्दिक किया गया तथा तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण मे जरिये तहसीलदार पटवार हल्का से सजरा रिपोर्ट तलब कि गई तथा उक्त रिपोर्ट से वाद पत्र की सत्यता का पता चलता है तथा तथा वाद पत्र मे प्रतिवादी कि पत्नि गोपीबाई ने अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत किया व अपने को पति के जीवनकाल मे केवल भरणपोषण की अधिकारी माना व वाद पत्र डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति जताई तथा प्रकरण मे राजीनामा हो जाने से तनकीयात कायम नही कि जा कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज तथा लोक अदालत कि भावना से राजीनामा होने से अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के तथ्यो को दौहराते हुए तथा दस्तावेजो की और पटवार हल्का कि रिपोर्ट कि और ध्यान दिलाया व वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जा कर दस्तावेज व पटवार हल्का रिपोर्ट व राजीनामा पर मनन किया गया तथा वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र मे वर्णित आराजी मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादडी मे खतोनी सख्यो नयी खतोनी सख्यो नयी 97 स्थित है जिसमे :- आ.न. 762 रकबा 0.46 हैक्टर ,आ.न 841 रकबा 0.32 हैक्टर ,आ.न 849 रकबा 1.08 हैक्टर, आ.न 1187 रकबा 0.12 हैक्टर ,आ.न.1188 रकबा 0.11 हैक्टर ,आ.न. 1189 रकबा 0.19 हैक्टर ,आ.न. 1190 रकबा 0.09 हैक्टर, आ.न. 1191 रकबा 0.07 हैक्टर ,आ.न.1192 रकबा 0.40 हैक्टर ,आ.न. 1495 रकबा 0.01 हैक्टर ,आ.न. 1496 रकबा 0.89 हैक्टर, आ.न. 1497 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.न. 1498 रकबा 0.89 हैक्टर, आ.न. 1499 रकबा 0.44 हैक्टर ,आ.न.1500 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता :- 15 रकबा :- 5.48 हैक्टर मे वादी रतनलाल का 1/3 वादी व प्रतिवादी न.1 झमकलाल का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 दुर्गाशंकर का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



(बिन्दु बाला राजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बडीसादडी